राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि0प्र0 / निचि / निशक्तता / 2017 / 627-40 दिनांक 11-9-17

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः— पंडित दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर—2017 के क्रम में।

संदर्भः— निदेशालय के पत्र दिनांक 29.08.17 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर—2017 के तहत विशेष योग्यजनों का निःशक्तता प्रमाण पत्रों के प्रमाणीकरण कार्य हेतु दिनांक 25.09.17 से 12.12.17 तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिलों में विषय विशेषज्ञ की उपलब्धता (Gap Analysis) का आकलन करते हुये संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान के माध्यम से विषय विशेषज्ञ की उपलब्धता सुनिश्चित करावें, साथ ही निजी चिकित्सालयों द्वारा द्वारा प्रमाणीकरण हेतु सहयोग के लिए उनकी निजी चिकित्सालयों (भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना व राज्य कर्मचारियों के लिये अधिकृत एवं सेवानिवृत विषय **विशेषज्ञ**) **की बैठक** का आयोजन कर उनसे प्रमाणीकरण कार्य हेतु लिखित में सहमति प्राप्त करते हुये सूची मय अति0 निदेशक (चि.प्र.) की ईमेल <addtiha@gmail.com> पर 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :चि0प्र0 / निचि / निशक्तता / 2017 / 627-40 दिनांक 11-9-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय । वेबसाइट पर अपलोड करें

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

letter hindi handicraft

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः 626 दिनांकः 11-9-17

बैठक कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर 2017 के संबध में शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए:-

1. निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य व नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज जयपुर।
4. विभागाध्यक्ष, न्यूरोलॉजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।
5. विभागाध्यक्ष, पैथोलोजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, विशेष योग्यजन।
7. अतिरिक्त निदेशक(चि.प्र.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यालय।
8. अधीक्षक, मानसिक रोग चिकित्सालय, सेठी कालोनी, जयपुर।
9. अधीक्षक, जयपुरिया अस्पताल, जयपुर।
10. अधीक्षक, कांवटिया अस्पताल, जयपुर।
11. अध्यक्ष, आई.एम.ए. (इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन)
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम व द्वितीय
13. श्री राजीव गुजराल SEMT-SPO, DOIT, जयपुर

उक्त बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गयें।

1. **संस्थागत दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण**:-
   - ❖ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों में स्थायी रूप से प्रतिदिन प्रमाणीकरण का कार्य किया जायेगा।
   - ❖ दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण का कार्य राजपत्रित अवकाशों को छोडकर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजें तक किया जायेंगा।
   - ❖ प्रमाणीकरण का कार्य दिनांक 25 सितम्बर 2017 से प्रारम्भ कर 12 दिसम्बर 2017 तक किया जायेगा यदि चिकित्सा संस्थानों में इससे पूर्व भी यदि व्यवस्था हो जाती है तो वे संस्थान 25 सितम्बर 2017 से पूर्व भी प्रमाणीकरण का कार्य प्रारम्भ कर सकते है।
2. **विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता**:-समस्त संयुक्त निदेशक(चिकित्सा विभाग) अपने-अपने संभाग में प्रत्येक जिलें के विषय विशेषज्ञों की संख्याओं का आकलन करते हुए गैप एनालिसिस करेंगे तथा संभागीय आयुक्त से समन्वय करते हुए संबधित मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को विषय विशेषज्ञों की सूचना उपलब्ध करवायेगें। संबधित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संयुक्त निदेशक(चिकित्सा विभाग) द्वारा मांगे गये चिकित्सक विशेषज्ञों कों संबधित जिले में सप्ताह में एक बार उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे। पूर्व में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में संयुक्त निदेशक(चिकित्सा विभाग) इस संदर्भ में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता

11.9.17

में एक बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रधानाचार्य इस बात की सुनिश्चितता करेंगें कि उनके द्वारा उपलब्ध चिकित्सक जिलों में दिव्यांग जन प्रमाणीकरण शिविर के दिन अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3. **प्रशिक्षण कार्यक्रमः**—प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार से आयोजित किये जायेगें।

❖ **स्थानीय स्तरः**—

➢ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से समन्वय करते हुए अपने जिलें में चिकित्सकों को नयें अधिनियम के अनुरूप प्रमाणीकरण के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान करवायेगें।

➢ स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 18 सितम्बर 2017 से 21 सितम्बर 2017 के मध्य आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त पीपीटी व आडियों विजुअल के माध्यम से दिया जावें।

❖ **वीडियो कान्फ्रेसिंगः**—

➢ राज्य स्तर से भी दिनांक 22 सितम्बर 2017 को दोपहर 2:15 से 6 बजे तक वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी, प्रशासनिक व मेडिकल(नई गाईडलाईन) विषयों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों के चिकित्सकों को प्रशिक्षण में भाग लेंगे।

4. **निजी मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय दिव्यांग जनों के प्रमाणीकरण हेतु अधिकृत करनाः**—उपरोक्त विषय में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिलें में विषय विशेषज्ञों की कमी व आवेदकों की बडी संख्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना व राज्य कर्मचारियों हेतु अधिकृत निजी चिकित्सालय को दिव्यांग जनों के प्रमाणीकरण शिविर हेतु कैम्प अवधि 25 सितम्बर से 12 दिसम्बर 2017 के लिये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अधिकृत किया जाना उचित होगा। इस संदर्भ में समस्त संयुक्त निदेशक व समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने—अपने जिलो में बैठक आयोजित कर उनसे दिव्यागजनों के प्रमाणीकरण हेतु सहमति प्राप्त कर सूचना संयुक्त निदेशक, जोन के माध्यम से निदेशालय में दिनांक 15.09.17 तक भिजवावें। अधिकृत किये जाने के पश्चात अधिकृत निजी चिकित्सालय/निजी चिकित्सक को यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध करवाये जावें। अधिकृत किये जाने के पश्चात अधिकृत निजी चिकित्सालय/निजी चिकित्सक को यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध करवाये जावें।

5. **इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सहयोगः**— इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि डा0 एस एस अग्रवाल ने अवगत करया कि उनके द्वारा इन शिविरों में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावेगा। तथा जिन—जिन जिलें में विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता है उन जिलों की सूची उपलब्ध करवा दी जावें ताकि

11.9.17

मेडिकल एसोसिएशन अपने स्तर से उनकी सहमति प्राप्त कर चिकित्सा विभाग को सूचित कर दिया जावेगा। साथ ही उनके द्वारा आग्रह किया गया कि निजी चिकित्सक जो दिव्यांग जनों के प्रमाणीकरण में सहयोग देंगे उनको राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग जन प्रमाणीकरण शिविर (कैम्प अवधि) के लिये अधिकृत किया जायें। डा. एस एस अग्रवाल ने यह भी अवगत कराया कि अधिकृत निजी चिकित्सालय में बोर्ड लगाकर यह सूचित किया जावेगा कि संबधित अस्पताल में किस– किस प्रकार की निःशक्तता का प्रमाणीकरण करने की सुविधा उपलब्ध है।

6. **हीमोफीलिया, थैलीसिमिया व सिकल सैल डिजीज की जांच के क्रम में:–** बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हीमोफीलिया, थैलीसिमिया व सिकल सैल डिजीज की पहचान हेतु यदि जांच की आवश्यकता होती है तो मेडिकल कॉलेज व संबधित अस्पताल दिव्यांग जन प्रमाणीकरण शिविर अवधि 25 सितम्बर से 12 दिसम्बर 2017 तक निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध करवायेंगे।

7. **प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से संबधितः–**

❖ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने–अपने जिलों में ऑनलाईन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से संबधित जानकारी संबधित चिकित्सकों को उपलब्ध करवायेंगे तथा साथ ही नई गाईडलाईन की हार्ड कॉपी प्रमाणीकरण करने वाले चिकित्सकों व समस्त संस्था प्रधान(सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपजिला अस्पताल/जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज व संबद्ध चिकित्सालयों) को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करवायेंगे।

❖ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सभी को नयी गाईलाईन के तहत दिव्यांग जनों को जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र की प्रति भी नमुने के तौर पर उपलब्ध करवायेंगे।

8. **प्रमाणीकरण हेतु संदेशः–** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रमाणीकरण हेतु पंजीकृत दिव्यांग जनों को उसके निकटस्थ प्रमाणीकरण केन्द्र(राजकीय/निजी चिकित्सालय/चिकित्सक) की जानकारी हेतु सूचना एसएमएस के माध्यम से भिजवाया जाना उचित होगा।

9. **प्रचार–प्रसारः**–आंगनबाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, प्रसाविका के माध्यम से दिव्यांग जनों को इस बात इस जानकारी दी जायें कि दिव्यांग जन प्रमाणीकरण शिविर दिनांक 25 सितम्बर 2017 से प्रारम्भ होंगे जैसे ही उनके मोबाईल में संदेश प्राप्त होता है उस दिनांक को दिव्यांग जन प्रमाणीकरण केन्द्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

11/9/17

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर